प्रेस नोट
दिनांक 06.03.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा लोकसेवक के साथ मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–28/25, धारा 121(1),132,115(2),352,351(2)(3),324(4)(5) बीएनएस व 3(1)द,ध एस0सी0एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शुभम शुक्ला पुत्र दिनेश कुमार शुक्ला नि0 शुक्लपुरवा बनकटवा मौजा खिरई खिरबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को बनकटवा कालीमाता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तंमचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.03.2025 को आत्माराम वर्मा लेखपाल क्षेत्र नौबरा तहसील गोंडा ने थाना मोतीगंज पुलिस को सूचना दी कि मैं साथी लेखपाल नागेंद्र प्रताप, राजस्व निरीक्षक मोहम्मद अकलीम ग्राम खिरई खिरबा में तालाब एवं नवीन परती की भूमि पैमाइश करने गए थे, भूमि पैमाइश का कार्य पूर्ण होने के पश्चात जब हम लोग अपनी गाड़ी से बघेलवा व सिसवरिया के बीच पहुंचे तभी विपक्षी मुकीम पुत्र अब्दुल रहीम द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट की गई तथा सरकारी अभिलेखों को फाड़ कर जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचे से हवाई फायरिंग की गई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 06.03.2025 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त शुभम शुक्ला पुत्र दिनेश कुमार शुक्ला को बनकटवा काली माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तंमचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शुभम शुक्ला पुत्र दिनेश कुमार शुक्ला नि0 शुक्लपुरवा बनकटवा मौजा खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–28/25, धारा 121(1),132,115(2),352,351(2)(3),324(4)(5) बीएनएस व 3(1)द,ध एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला।
02. का0 रमेश कुमार।
03. का0 महेश कुमार।
04. का0 सचिन कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.03.2025</u>

<u>थाना को0 कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी की कई घटनाओं को खुलासा करते हुए 04 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से सोने–चांदी के आभूषण, अवैध तमंचा मय कारतूस, 01 अदद नाजायज चाकू व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0 कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर चोरो–01. रामसूरत चौहान, 02. जीतेन्द्र कुमार चौहान, 03. मो0 सगीर, 04. अशोक को बटौरा बाबा के बगल स्थित बाग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण व 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद नाजायज चाकू व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः–</u>
दिनांक 05.03.2025 की रात्रि थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा चौरी चौराहा के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना पर बटौरा बाबा के बगल स्थित बाग से 04 शातिर चोरों–01. रामसूरत चौहान, 02. जीतेन्द्र कुमार चौहान, 03. मो0 सगीर, 04. अशोक को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, 01 अदद इन्वर्टर बैट्री व अभियुक्त रामसूरत चौहान के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त अशोक के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताछ का विवरणः–</u>
शातिर बदमाशों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह लोग आर्थिक लाभ कमाने के लिए चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 28.02.2025 की रात्रि थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौरी के एक घर में घुसकर इन्वर्टर और बैट्री की चोरी की थी तथा दिनांक 23.12.2024 की रात्रि मनकापुर आईटीआई परिसर स्थित आवास में घुसकर सोने चांदी के आभूषण, दिनांक 30.09.2024 की रात्रि मनकापुर चीनी मिल आवासीय परिसर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण, दिनांक 22.01.2025 की रात्रि थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलीपुर खण्डेराय के दो घरों में घुसकर सोने चांदी के आभूषण, दिनांक 25.01.2025 की रात्रि थाना को0 नगर स्थित चन्दू बाबा मंदिर के पास स्थित एक घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण, दिनांक 29.01.2025 की रात्रि थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जग्गेपुरवा डेहरास के एक घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण, दिनांक 24.09.2024 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मलौना प्राथमिक विद्यालय में घुसकर दो टैबलेटो की चोरी की थी। चोरी किए गए आभूषणों को नेपाल राष्ट्र में बेचकर प्राप्त पैसो को आपस में बांट लेते थे।

द्वारा अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 20.12.2024 को थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत तथा दिनांक 22.12.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं से टप्पेबाजी की घटना कारित करते हुए उनके सोने चांदी के आभूषण उड़ा लिए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना को0 कर्नलगंज व थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01.रामसूरत चौहान पुत्र शेषराम उर्फ बुद्धू नि0 बरजोर नगर उत्तरी भवानी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. जीतेन्द्र कुमार चौहान उर्फ अमताज पुत्र स्व0 रामदत्त नि0 कोचा कासिम थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. मो0 सगीर पुत्र मो0 शाबीर नि0 चौरी थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
04. अशोक पुत्र कमल कुमार नि0 बगरे पुरवा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–62/25, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–626/24, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–491/24, धारा 331(4),305(ए) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–15/25, धारा 305,331(4) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–59/25, धारा 305(ए),331(4) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–34/25, धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–425/24, धारा 305(ई) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद हार पीली धातु।
02. 04 अदद अंगूठी पीली धातु।
03. 01 अदद मांग टीका पीली धातु।
04. 01 जोड़ी झुमका पीली धातु।
05. 03 अदद लाकेट पीली धातु।
06. 05 अदद नथुनी पीली धातु।
07. 12 जोड़ी पायल सफेद धातु।
08. 03 जोड़ी पाजेब सफेद धातु।
09. 01 अदद हाथ पेटी सफेद धातु।
10. 01 अदद तस्तरी सफेद धातु।
11. 03 अदद सोपारी सफेद धातु।
12. 01 अदद मछली सफेद धातु।
13. 01 अदद पान सफेद धातु।
14. 02 अदद सिंधौरा सफेद धातु।
15. 05 अदद सिक्का सफेद धातु।
16. 01 अदद मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्लस।
17. 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

18. 01 अदद नाजायज चाकू।
19. 01 अदद इन्वर्टर बैट्री।
20. 8700 रू0 नगद।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 दुर्गविजय सिंह।
02. उ0नि0 सरफराज खान।
03. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह।
04. उ0नि0 उत्कर्ष नवीन।
05. हेड का0 वकील सिंह।
06. हेड का0 सर्वेश कुमार।
07. हेड का0 अशोक यादव।
08. हेड का0 विजय कुमार।
09. हेड का0 सतीश सिंह कुशवाहा।
10. का0 राजकुमार दूबे।
11. का0 रामजी शुक्ला।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>